संख्या- 52/2022/001-2140911/1355068/12-2002/31/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 04 जुलाई, 2022

विषय:- नेशनल क्राप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: एस-708/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2022-23, दिनांक 14 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी में प्रावधानित धनराशि रूपये 65300.00 लाख के सापेक्ष रू0 9771.00 लाख (रूपए सत्तानबे करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्गत धनराशि का व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जाएगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी। यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।

(7) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जाये। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(11) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 97,71,00,000 (रुपये सत्तानवे करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001108902 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-5-X-2022-23-दिनांक: 23-6-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 52/2022/001-2140911(1)/1355068/12-2002/31/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in